संख्या:278/2016/1059/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 18 जुलाई,2016

विषय:वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में पेयजल परियोजनाओं से संबंधित 05 कार्यों की शासनादेश संख्या:1509/35-4-2013 दिनांक 07 जनवरी,2014 द्वारा लागत रू.989.91 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 494.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या:755/35-4-2014 दिनांक 17 जून,2014 द्वारा अवशेष देय धनराशि रू. 494.96 लाख अवमुक्त की गई। एतदद्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत 05 कार्यों में से 01 कार्य यथा: **मझपुर्वा ग्राम पेयजल परियोजना** कार्य में व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन के कार्य को सम्मिलित करने के फलस्वरूप परियोजना की मूल लागत रू. 433.26 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लागत रू.511.91 लाख (पॉच करोड़ ग्यारह लाख इक्यानवे हजार मात्र) पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 जनवरी,2014 एवं 17 जून,2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप धनराशि की मांग होने पर यथा समय अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- मात्राओं एवं विशिष्टयो को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

4- लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के प्रकार में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

5- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे। कार्य को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-710/दस-2016 दिनांक: 13 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:278/2016/1059(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://sansadesh.up.nic.in